रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVERNMENT OF INDIA

सं. 741 ] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 1, 1999/अग्रहायण 10, 1921

No. 741 ] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 1, 1999/AGRAHAYANA 10, 1921

**वाणिज्य मंत्रालय**

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 1999

**संख्या 36 ( आर.ई.-99/1997—2002 )**

**का. आ. 1208 ( अ ).**—निर्यात और आयात नीति, 1997—2002 (31-3-99 तक किए गए संशोधन सम्मिलित) के पैरा 1.3 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा-5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निर्यात और आयात नीति, 1997—2002 (31-3-99 तक किए गए संशोधन सम्मिलित) में निम्नलिखित संशोधन करती है :

1. पैराग्राफ 9.13(ख) के बाद निम्नलिखित उप-पैराग्राफ (ग) को जोड़ा जाएगा :—

"(ग) निर्यातोन्मुख यूनिट/निर्यात संवर्धन क्षेत्र की यूनिट द्वारा लाइसेंस प्राप्त निलामी केन्द्रों से थोक में खरीदी गई चाय पर अदा किए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को सभी औद्योगिक दरों पर संबंधित क्षेत्र के विकास आयुक्त द्वारा लौटाया जाएगा जब तक थोक चाय पर लेवी लागू है।"

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/94/180/27/एएमओओ/नीति-4]

एन. एल. लखनपाल, महानिदेशक
विदेश व्यापार और पदेन अपर सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st December, 1999

**No. 36 (RE-99)/1997—2002**

**S. O. 1208 (E).**—In exercise of powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992) read with Paragraph 1.3 of the Export and Import Policy, 1997—2002 (incorporating amendment made upto 31-3-99), the Central Government hereby makes following amendments in the Export Import Policy, 1997—2002 (incorporating amendment upto 31-3-99).

1. The following sub-paragraph (c) may be added after Paragraph 9.13(b) :—

"(c) Central Excise Duty paid on bulk tea produced from licence auction centres by EOU/EPZ units would be re-imbursed by Development Commissioner of concerned Zone at all industry rates so long as levy on bulk tea in this regard is in force."

This issues in public interest.

[F. No. 01/94/180/27/AMOO/Pol. IV]

N. L. LAKHANPAL, Director General
of Foreign Trade and Addl. Secy.

3514 GI/99

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.